सत्यमेव जयते

THE

JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

23 CHAITRA, 1943 (S)

No. 275

RANCHI, TUESDAY, 13th APRIL, 2021

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. 03/2021 – State Tax

S.O. No. 29, Dated 12th April, 2021- In exercise of the powers conferred by sub-section (6D) of section 25 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Government, on the recommendations of the Council and in supersession of the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department No. 17/2020-State Tax, dated the 25th June, 2020, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 40, dated the 25th June, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby notifies that the provisions of sub-section (6B) or sub-section (6C) of section 25 of the said Act shall not apply to a person who is,—

(a) not a citizen of India; or

(b) a Department or establishment of the Central Government or State Government; or

(c) a local authority; or

(d) a statutory body; or

(e) a Public Sector Undertaking; or

(f) a person applying for registration under the provisions of sub-section (9) of section 25 of the said Act.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 23rd February, 2021.

[File No.Va Kar / GST /01/2020]

By the order of the Governor of Jharkhand,

(**Vandana Dadel**)

Principal Secretary,
Commercial taxes Department

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 03/2021- राज्य कर

एस. ओ. सं. 29, दिनांक 12 अप्रैल, 2021 - सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 25 की उपधारा (6घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और झारखण्ड सरकार के वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना सं. 17/2020- राज्य कर, तारीख 25 जून, 2020, जो झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में एस. ओ. सं. 40, तारीख 25 जून, 2020 के तहत प्रकाशित की गई थी, को सिवाय ऐसी बातों के, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थी या करने का लोप किया गया था, अधिक्रांत करते हुए अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, जो, —

(क) भारत का नागिरक नहीं है ; या

(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या स्थापना ; या

(ग) स्थानीय प्राधिकारी ; या

(घ) कानूनी निकाय ; या

(ङ) पब्लिक सेक्टर उपक्रम ; या

(च) उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (9) के प्रावधानों के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति ।

2. यह अधिसूचना 23 फरवरी, 2021 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी/01/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(वंदना दादेल)
प्रधान सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 275 -- 50